पत्र संख्या-9/पें०(6)-02/2018 243/वि०

झारखण्ड सरकार

योजना सह वित्त विभाग (वित्त प्रभाग)

Gen Dy No 909
1/11/19

प्रेषक,

अखिलेश कुमार वाजपेयी,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
सभी आयुक्त/उपायुक्त/सभी विभागाध्यक्ष/
सभी पुलिस अधीक्षक,
सभी वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
सभी सिविल सर्जन पदाधिकारी,
सभी ई० पेंशन नोडल पदाधिकारी,
सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला शिक्षा अधीक्षक,
सभी कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी,
झारखण्ड ।

महालेखाकार का कार्यालय (लें० एवं ह०) 31 OCT 2019

प्रधान महालेखाकार,
झारखण्ड, राँची ।

राँची, दिनांक 24.10.19

विषयः- दिनांक 01.01.2016 के पूर्व सेवानिवृत/मृत सरकारी कर्मियों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन पुनरीक्षण के संबंध में ।

प्रसंगः- विभागीय पत्रांक 181/वि०पे० दिनांक 13.08.2019

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि प्रसंगाधीन पत्र के माध्यम से दिनांक 01.01.2016 के पूर्व झारखण्ड राज्य से सेवानिवृत/मृत सरकारी कर्मियों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन पुनरीक्षण हेतु विस्तृत दिशा निर्देश संसूचित किया गया है ।

वित्त विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 02 दिनांक 02.01.2019 (संलग्न) द्वारा दिनांक 01.01.2016 के पूर्व के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के पेंशन पुनरीक्षण के संबंध में दिशा निर्देश संसूचित किया गया है । अंकनीय है कि झारखण्ड गठन (दिनांक 15.11.2000) के पूर्व सेवानिवृत कर्मी बिहार सरकार के पेंशनर होंगे ।

Noto Pen-I 1-4316 w
to Sai

अतः अनुरोध है कि दिनांक 15.11.2000 के पूर्व सेवानिवृत कर्मियों के मामले में वित्त विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 02 दिनांक 02.01.2019 के

आलोक में पेंशन पुनरीक्षण हेतु प्राप्त आवेदन/प्रपत्र को यथाशीघ्र महालेखाकार, बिहार पटना को अग्रसारित करने की कृपा की जाय ।

अनु०:-यथोक्त ।

विश्वासभाजन

26/10/2019

(अखिलेश कुमार वाजपेयी)
सरकार के संयुक्त सचिव ।